दिनांक–10.04.2026 को विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जमुई, मुंगेर एवं शेखपुरा का 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों के संबंध में आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः–

1. **लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जमुईः–**
   - समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जमुई अंतर्गत प्रखंड–गिद्धौर, पंचायत–पतसंदा के वार्ड नं0–03 में शिकायतकर्त्ता के घर में सप्लाई का पानी नहीं मिल रहा है। उक्त के संबंध में सहायक अभियंता (मु0) द्वारा बताया गया कि कम Water Pressure रहने के कारण शिकायतकर्त्ता के घर में पानी नहीं पहुंचता है तथा इसके अलावा उस वार्ड में 500 घरों को नया कनेक्शन देने कि आवश्यकता है। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि यह योजना PWS से संबंधित है जिसमें एक लाख गैलन वाटर टॉवर से 12 वार्डों के लगभग 1800 घरों में सप्लाई की जाती है एवं नये घरों के बसावट एवं अंतिम छोर पर रहने के कारण लगभग 500 घरों में नया कनेक्शन देने की आवश्यकता है। विशेष सचिव द्वारा संबंधित अधीक्षण अभीयंता, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता से इस संबंध में पृच्छा की गई कि इसकी सूचना अभी तक क्यों नहीं दी गई ? इस संबंध में संबंधित सभी पदाधिकारियों से प्रशाखा–05/11 से स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया। संबंधित अधीक्षण अभियंता को निदेशित किया गया कि दो दिनों में अपने टीम (सहायक अभियंता, कनीय अभियंता) के साथ वार्डवार योजना की जांच करेंगे एवं छूटे हुए घरों में जलापूर्ति शीघ्र चालू करवाना सुनिश्चित करेंगे।

     अनुपालनः–अभियंता प्रमुख सह–विशेष सचिव (मु0) के प्रावैद्यिक सचिव/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित सहायक अभियंता/संबंधित कनीय अभियंता।

   - समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जमुई अंतर्गत प्रखंड–लक्ष्मीपुर, पंचायत–कनचौर के वार्ड नं0–09 में शिकायतकर्त्ता द्वारा शिकायत की गई कि उनके घर में तीन साल से पानी नहीं मिल रहा है। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि संबंधित शिकायत छूटे हुए टोलें में है जिसकी निविदा प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में अभियंता प्रमुख सह–विशेष सचिव (का0प्र0) एवं मुख्य अभियंता (दक्षिण बिहार) को शीघ्रता से ससमय बीड का निष्पादन कराने का निदेश दिया गया।

     अनुपालनः– अभियंता प्रमुख सह–विशेष सचिव (का0प्र0)/मुख्य अभियंता (दक्षिण बिहार)।

   - समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जमुई अंतर्गत प्रखंड–खैरा, पंचायत–झुंडों के वार्ड नं0–04 में शिकायतकर्त्ता द्वारा शिकायत की गई कि उनके घर में पानी नहीं मिल रहा है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि संबंधित टोला PRD LOT में है जिसमें दो दिनों में हाउस कनेक्शन कर जलापूर्ति बहाल कर दी जाएगी।

     अनुपालनः–संबंधित कार्यपालक अभियंता।

   - समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जमुई अंतर्गत प्रखंड–इस्लामनगर अलीगंज, पंचायत–सहोरा के वार्ड नं0–13 में शिकायतकर्त्ता द्वारा शिकायत की गई कि उनके घर में 3 साल से सप्लाई का पानी नहीं मिल रहा है। इस संबंध में पृच्छा करने पर कार्यपालक अभियंता, जमुई द्वारा बताया गया कि संबंधित एजेंसी सुनैना एण्ड सन्स

कन्सट्रक्शन को रिसाईंन कर दिया गया है। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि संवेदक द्वारा संविदात्मक कार्य का निर्वहन नहीं करने के कारण उन्हें काली सूची में डालने का प्रस्ताव उचित माध्यम से मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही शीघ्र शेष कार्यों की निविदा कर जलापूर्ति बहाल करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः—संबंधित कार्यपालक अभियंता/ प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा—12।

- ❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जमुई अंतर्गत प्रखंड—लक्ष्मीपुर, पंचायत—मढ़ैया के वार्ड नं0—11 में शिकायतकर्त्ता द्वारा शिकायत की गई कि उनके वार्ड में सप्लाई का पानी आता है, किंतु उनके घर में पानी नहीं मिल रहा है। संबंधित कार्यपालक अभियंता से पृच्छा के क्रम में बताया गया कि Water Pressure कम रहने के कारण अंतिम छोर पर 20 घरों में पानी नहीं जा रहा है। संबंधित कार्यपालक अभियंता को उन 20 घरों को जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु एक सप्ताह का समय दिया गया। तत्पश्चात सहायक अभियंता (मु0) इस योजना की जांच कर मुख्यालय को प्रतिवेदित करेंगे।

अनुपालनः—संबंधित कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता (मु0)।

2. लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेरः—

- ❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर अंतर्गत प्रखंड—मुंगेर, पंचायत—नौवागढ़ी के वार्ड नं0—03A एवं 03B में शिकायतकर्त्ता द्वारा शिकायत की गई कि उनके घर को पानी नहीं मिल रही है। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि पंचायत—नौवागढ़ी के वार्ड नं0—03A एवं 03B में लगभग 22 घर ऐसे है, जहाँ लाभार्थियों को पानी नहीं मिल रहा है तथा उस वार्ड में पंचायती राज विभाग की योजना है, जहाँ बोरिंग का डिस्चार्ज कम है। उक्त के संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि IM-II चापाकल द्वारा उस क्षेत्र में 7 दिन के भीतर जलापूर्ति देना सुनिश्चित करेंगे। सहायक अभियंता (मु0) संबंधित की जांच कर मुख्यालय को प्रतिवेदित करेंगे।

अनुपालनः—संबंधित कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता (मु0)।

- ❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर अंतर्गत प्रखंड—संग्रामपुर, पंचायत—बरहौनिया के वार्ड नं0—09 में लगभग 20 घरों में कनेक्शन नहीं दिया गया है। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा उक्त वार्ड में 10 दिनों में 20 घरों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया। सहायक अभियंता (मु0) इस योजना की जांच कर मुख्यालय को प्रतिवेदित करेंगे।

अनुपालनः—संबंधित कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता (मु0)।

- ❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर अंतर्गत प्रखंड—धरहरा, पंचायत—अमारी के वार्ड नं0—02 में लाभार्थी द्वारा शिकायत किया गया कि उनके घर में 2 साल से जलापूर्ति नहीं की जा रही है। उक्त के संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि 7 दिनों के भीतर यहाँ जलापूर्ति देना सुनिश्चित करेंगे। सहायक अभियंता (मु0) इस योजना की जांच कर मुख्यालय को प्रतिवेदित करेंगे।

अनुपालनः—संबंधित कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता (मु0)।

- ❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर अंतर्गत प्रखंड—मुंगेर, पंचायत—महौली के वार्ड नं0—03 में जलापूर्ति नहीं दी जा रही है। पृच्छा में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि O&M की अवधि समाप्त होने के क्रम में संबंधित एजेंसी द्वारा कार्य को नहीं किया जा रहा है, जिस कारण एजेंसी को डिबार कर दिया गया है। उक्त के संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि एजेंसी द्वारा

संविदात्मक दायित्व का निर्वहन नहीं करने के कारण Rescind/Blacklist हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही संबंधित कार्यपालक अभियंता को प्रमंडल मुंगेर अंतर्गत प्रखंड--मुंगेर, पंचायत–महौली के वार्ड नं0–03 में 15 दिनों में जलापूर्ति बहाल करने का निदेश दिया गया। सहायक अभियंता (मु0) इस योजना की जांच कर मुख्यालय को प्रतिवेदित करेंगे।

अनुपालनः–संबंधित कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता (मु0)/ प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा–12।

- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर अंतर्गत प्रखंड–बरियारपुर, पंचायत–झौआ बहियार के वार्ड नं0–06 में लाभार्थी को जलापूर्ति नहीं की जा रही है। पृच्छा क्रम में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि पाईपलाईन चॉक होने के कारण जलापूर्ति बाधित है। उक्त के संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि एजेंसी द्वारा संविदात्मक दायित्व का निर्वहन नहीं करने के कारण Debar/Rescind/Blacklist हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित कार्यपालक अभियंता को मुंगेर अंतर्गत प्रखंड–बरियारपुर, पंचायत–झौआ बहियार के वार्ड नं0–06 में जलापूर्ति बहाल करने हेतु 3 दिन का समय दिया गया। सहायक अभियंता (मु0) इस योजना की जांच कर मुख्यालय को प्रतिवेदित करेंगे।

अनुपालनः–संबंधित कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता (मु0)/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा–12।

3. <u>लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुराः–</u>

- समीक्षा के क्रम में सहायक अभियंता (मु0) द्वारा बताया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा अंतर्गत प्रखंड–शेखोपुर सराय, पंचायत–ओनमा के वार्ड नं0–09 में Water Pressure कम रहने के कारण लगभग 20 से 25 घरों में जलापूर्ति नहीं मिल रहा है। इस संबंध में कनीय अभियंता, शेखोपुर सराय से पृच्छा के क्रम में False रिपोर्ट करने के कारण अगले आदेश तक वेतन स्थगित करने एवं उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई संचालित करने का निदेश दिया गया। साथ संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं सहायक अभियंता (मु0) को निदेश दिया गया कि इस योजना की जांच कर प्रतिवेदन मुख्यालय को समर्पित करेंगे।

अनुपालनः–अभियंता प्रमुख सह–विशेष सचिव (मु0) के प्रावैधिक सचिव/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/ सहायक अभियंता (मु0)।

- समीक्षा के क्रम में सहायक अभियंता (मु0) द्वारा बताया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा अंतर्गत प्रखंड–शेखोपुर सराय, पंचायत–ओनमा के वार्ड नं0–08 में पंप ऑपरेटर का मानदेय भुगतान लंबित रहने के कारण जलापूर्ति नहीं की जा रही है। संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि 24 घंटे के भीतर पंप ऑपरेटर का मानदेय भुगतान सुनिश्चित कर योजना को क्रियाशीलता में लाऐंगे। सहायक अभियंता (मु0) जांच कर मुख्यालय को प्रतिवेदित करेंगे।

अनुपालनः–संबंधित कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता (मु0)।

- लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा अंतर्गत प्रखंड–अरयारी, पंचायत–कसर के वार्ड नं0–04 में शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की गई कि उनको जलापूर्ति नहीं मिल रही है। इस संबंध में सहायक अभियंता (मु0) द्वारा पृच्छा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि इस योजना कि जाँच नहीं की गई है। इस संबंध में सहायक अभियंता (मु0) से प्रशाखा–05/11 के माध्यम

से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया। उक्त के संबंध में कनीय अभियंता से पृच्छा की गई तो बताया गया कि उक्त योजना छूटे हुए टोलें के अंतर्गत है जिसमें बोरिंग का कार्य हुआ है। संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि एक सप्ताह में कार्यपूर्ण कर जलापूर्ति बहाल कराए।

अनुपालनः— अभियंता प्रमुख सह—विशेष सचिव (मु0) के प्रावैद्यिक सचिव / संबंधित कार्यपालक अभियंता / सहायक अभियंता (मु0)।

- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा अंतर्गत प्रखंड—अरियरी, पंचायत—सनईया के वार्ड नं0—12 में शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की गई कि उनको जलापूर्ति नहीं मिल रही है। इस संबंध में सहायक अभियंता (मु0) द्वारा पृच्छा की गई तो बताया गया कि इस योजना कि जाँच उनके द्वारा नहीं की गई है। इस संबंध में सहायक अभियंता (मु0) का वेतन अगले आदेश तक स्थगित रखने एवं प्रशाखा—05 / 11 के माध्यम से स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया। संबंधित कार्यपालक अभियंता को द्वारा बताया गया कि उक्त योजना PRD (LOT) के अंतर्गत है। उन्हें निदेशित किया गया कि 07 दिनों में कार्यपूर्ण कर जलापूर्ति बहाल करना सुनिश्चित करेंगे। सहायक अभियंता (मु0) इस योजना की जांच कर मुख्यालय को प्रतिवेदित करेंगे।

अनुपालनः— अभियंता प्रमुख सह—विशेष सचिव के प्रावैद्यिक सचिव (मु0)/ संबंधित कार्यपालक अभियंता / सहायक अभियंता (मु0)।

4. अन्यान्यः—

- कार्यपालक अभियंता, जमुई, मुंगेर एवं शेखपुरा को निदेशित किया गया कि अपने प्रमंडल एवं अवर प्रमंडल में पदस्थापित सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता की प्रत्येक दिन समीक्षा करेंगे कि उनके द्वारा कितने योजनाओं की जाँच की गई ?

अनुपालनः—संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- कार्यपालक अभियंता, जमुई, मुंगेर एवं शेखपुरा का निदेशित किया गया कि सभी छुटे हुए टोलों जहाँ कार्य बाधित हो रही है की सूची तैयार कर, अगले 4 दिनों में मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः— संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- सभी सहायक अभियंता (मु0) को निदेश दिया गया कि योजना की जाँच के क्रम में Remarks में संबंधित योजना कितनी राशि का है, योजना से संबंधित संवेदक का नाम, किस तिथि को O&M भुगतान किया गया है एवं किस तिथि से O&M भुगतान नहीं हुआ है, संवेदक द्वारा योजना में विद्युत विपत्र के बकाये राशि में कितना भुगतान किया गया है एवं कितना विद्युत विपत्र का बकाया राशि का भुगतान करना शेष है, कितने घरों में जलापूर्ति नहीं की जा रही है, भू—जलस्तर की जाँच करेंगे, कितने मीटर पाईपलाईन क्षतिग्रस्त है एवं कितने जगह नया पाईपलाईन बिछाने की आवश्यकता है। इसकी जाँच कर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे।

अनुपालनः— संबंधित सभी सहायक अभियंता (मु0)।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही संपन्न की गई।

14.05.26

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 14/वबैक–105/25–393 दिनांक– 18/5/26

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियत्रण प्रक्षेत्र, भागलपुर/अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जमुई, मुंगेर एवं शेखपुरा/संबंधित सहायक यांत्रिक अभियंता–सह नोडल पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक अवर प्रमंडल/संबंधित कनीय अभियंता (यांत्रिक सहित) बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/5/26

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांकः–14/वबैक–105/25–393 दिनांक– 18/5/26

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मु0/का0प्र0)/अपर सचिव/सभी मुख्य अभियंता (उत्तर बिहार/दक्षिण बिहार/यांत्रिक/अनुश्रवण)/अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव के प्रावैधिक सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी संबंधित नोडल पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी/आइटी मैनेजर/संबंधित सहायक अभियंता/संबंधित सहायक अभियंता (मु0)/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/5/26

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांकः– 14/वबैक–105/25–393 दिनांक– 18/5/26

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

14/5/26

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)